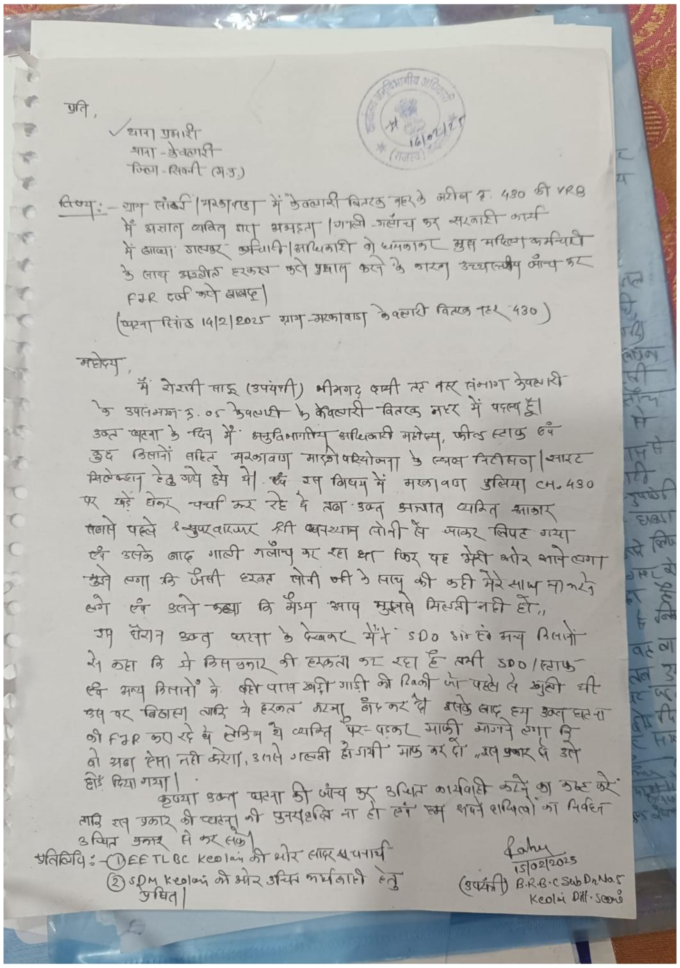

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
16/02/25

प्रति,
थाना प्रभारी
थाना - केवलारी
जिला - सिवनी (म.प्र.)

विषय :- ग्राम सांकड़ी/मरकावाड़ा में केवलारी वितरक नहर के RD क्र. 430 की VRB में अज्ञात व्यक्ति द्वारा अभद्रता/गाली-गलौच कर सरकारी कार्य में बाधा डालकर कर्मचारी/अधिकारी को धमकाकर मुझ महिला कर्मचारी के साथ अश्लील हरकत करने प्रयास करने के कारण उच्चस्तरीय जाँच कर FIR दर्ज करने बाबत्।
(घटना दिनांक 14/2/2025 ग्राम-मरकावाड़ा केवलारी वितरक नहर 430)

महोदय,

मैं रोशनी साहू (उपयंत्री) भीमगढ़ बायीं तट नहर संभाग केवलारी के उपसंभाग क्र. 05 केवलारी के केवलारी वितरक नहर में पदस्थ हूँ। उक्त घटना के दिन मैं अनुविभागीय अधिकारी महोदय, फील्ड स्टाफ एवं कुछ किसानों सहित मरकावाड़ा माइक्रोपरियोजना के लाइन निरीक्षण/साइट सिलेक्शन हेतु गये हुये थे। एवं इस विषय में मरकावाड़ा पुलिया CH. 430 पर खड़े होकर चर्चा कर रहे थे तभी उक्त अज्ञात व्यक्ति आकर सबसे पहले सुपरवाइजर श्री घनश्याम सोनी से जाकर लिपट गया एवं उसके बाद गाली गलौच कर रहा था फिर वह मेरी ओर आने लगा मुझे लगा कि जैसी हरकत सोनी जी के साथ की कहीं मेरे साथ ना करने लगे एवं उसने कहा कि मैडम आप मुझसे मिलती नहीं हो।

इस दौरान उक्त घटना को देखकर मैंने SDO सर एवं अन्य किसानों से कहा कि ये किस प्रकार की हरकत कर रहा है तभी SDO/स्टाफ एवं अन्य किसानों ने वहीं पास खड़ी गाड़ी की डिक्की जो पहले से खुली थी उस पर बिठाया ताकि ये हरकत करना बंद कर दे इसके बाद हम उक्त घटना की FIR करा रहे थे लेकिन वे व्यक्ति पैर-पकड़ माफी मांगने लगा कि वो अब ऐसा नहीं करेगा, उससे गलती हो गयी माफ कर दो, इस प्रकार से उसे छोड़ दिया गया।

कृपया उक्त घटना की जांच कर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो एवं हम अपने दायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार से कर सकें।

प्रतिलिपि :- ① EE TLBC Keolari की ओर सादर सूचनार्थ
② SDM Keolari की ओर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15/02/2025
(उपयंत्री) B.R.B.C Sub Dn No. 5
Keolari Distt. Seoni

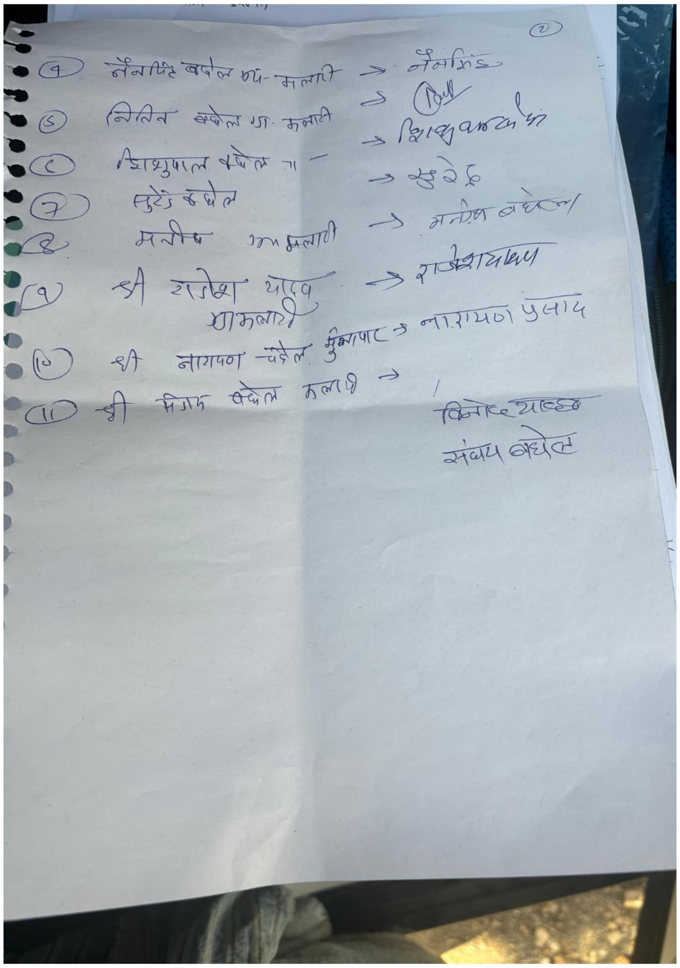

②

④ नैनसिंह बघेल ग्रा.- मलारी → नैनसिंह
⑤ नितिन बघेल ग्रा. मलारी →
⑥ शिशुपाल बघेल ग्रा - → शिशुपालबघेल
⑦ सुरेंद्र बघेल → सुरेंद्र
⑧ मनीष ग्रा मलारी → मनीष बघेल
⑨ श्री राजेश यादव ग्रा मलारी → राजेशयादव
⑩ श्री नारायण चंदेल मुंगवापार → नारायण प्रसाद
⑪ श्री मिराज बघेल मलारी →

विनोद यादव
संजय बघेल

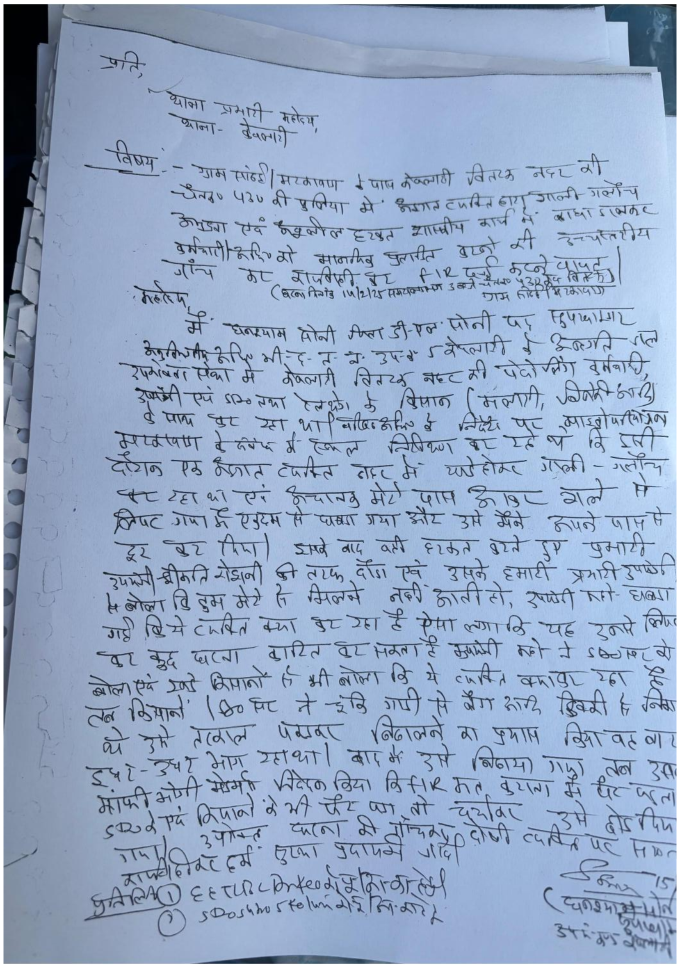

प्रति,
थाना प्रभारी महोदय,
थाना - केवलारी

विषय :- ग्राम सांकड़ी/मरकावाड़ा के पास केवलारी वितरक नहर की चैनेज 430 की पुलिया में अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाली-गलौच कर शासकीय कार्य में बाधा डालकर अभद्रता एवं अश्लील हरकत शासकीय कार्य में उच्चस्तरीय कर्मचारी/अधि० को मानसिक प्रताड़ित करने की जाँच कर कार्यवाही कर FIR दर्ज करने बाबत्।
(घटना दिनांक 14/2/25 समय लगभग 3 बजे चैनेज 430 केवलारी वितरक ग्राम सांकड़ी/मरकावाड़ा)

महोदय,

मैं घनश्याम सोनी पिता डी.एल. सोनी पद सुपरवाइजर अनुविभागीय अधि० भी.द.त.न. उप-सं० 5 केवलारी में कार्यरत रहते रखरखाव सेवा में केवलारी वितरक नहर की पेट्रोलिंग कार्यवाही, उपयंत्री एवं SDO तथा टेलधरी के किसान (मलारी, खिरखरी आदि) के साथ कर रहा था। वरिष्ठ अधि० के निर्देश पर माइक्रोपरियोजना मरकावाड़ा के संबंध में स्थल निरीक्षण कर रहे थे कि इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति नहर में शराब पीकर गाली-गलौच कर रहा था एवं अचानक मेरे पास आकर गले से लिपट गया मैं एकदम से घबरा गया और उसे मैंने अपने पास से दूर कर दिया। इसके बाद वही हरकत करते हुए प्रभारी उपयंत्री श्रीमति रोशनी की तरफ दौड़ा एवं उसने हमारी प्रभारी उपयंत्री से बोला कि तुम मेरे से मिलने नहीं आती हो, उपयंत्री मैडम घबरा गयी कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है ऐसा लगा कि यह इनसे लिपट कर कुछ घटना कारित कर सकता है उपयंत्री मैडम ने SDO सर को बोला एवं सभी किसानों से भी बोला कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है तब किसानों/SDO सर ने इसे गाड़ी से बैग आदि डिक्की से निकाल के उसे तत्काल पकड़कर निकालने का प्रयास किया वह बार-बार इधर-उधर भाग रहा था। बाद में उसे बिठाया गया तब उसने माफी मांगी मेरे से निवेदन किया कि FIR मत कराना मैं पैर पड़ता हूँ SDO एवं किसानों के भी पैर पड़ा तो चर्चा कर उसे छोड़ दिया गया। उपरोक्त घटना की जाँच कर दोषी व्यक्ति पर सख्त कार्यवाही करें कृपया प्रदायगी आदि

प्रतिलिपि ① EE TLBC Keolari की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
② SDO Sub No 5 Keolari की ओर सू. कार्य।

15/02
(घनश्याम सोनी)
सुपरवाइजर
उप-सं-क्र 5 केवलारी

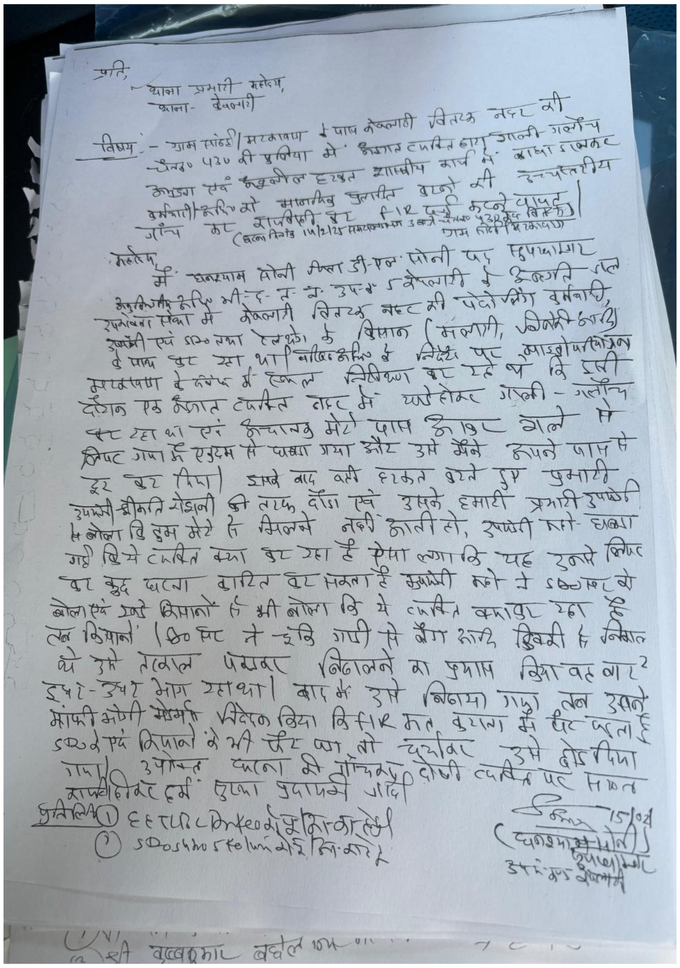

प्रति,
थाना प्रभारी महोदय,
थाना - केवलारी

विषय :- ग्राम सांकड़ी/मरकावाड़ा के पास केवलारी वितरक नहर की चैनेज 430 की पुलिया में अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाली-गलौच कर शासकीय कार्य में बाधा डालकर अभद्रता एवं अश्लील हरकत शासकीय कार्य में उच्चस्तरीय कर्मचारी/अधि० को मानसिक प्रताड़ित करने की जाँच कर कार्यवाही कर FIR दर्ज करने बाबत्।
(घटना दिनांक 14/2/25 समय लगभग 3 बजे चैनेज 430 केवलारी वितरक ग्राम सांकड़ी/मरकावाड़ा)

महोदय,

मैं घनश्याम सोनी पिता डी.एल. सोनी पद सुपरवाइजर अनुविभागीय अधि० भी.द.त.न. उप-सं० 5 केवलारी में कार्यरत रहते रखरखाव सेवा में केवलारी वितरक नहर की पेट्रोलिंग कार्यवाही, उपयंत्री एवं SDO तथा टेलधरी के किसान (मलारी, खिरखरी आदि) के साथ कर रहा था। वरिष्ठ अधि० के निर्देश पर माइक्रोपरियोजना मरकावाड़ा के संबंध में स्थल निरीक्षण कर रहे थे कि इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति नहर में शराब पीकर गाली-गलौच कर रहा था एवं अचानक मेरे पास आकर गले से लिपट गया मैं एकदम से घबरा गया और उसे मैंने अपने पास से दूर कर दिया। इसके बाद वही हरकत करते हुए प्रभारी उपयंत्री श्रीमति रोशनी की तरफ दौड़ा एवं उसने हमारी प्रभारी उपयंत्री से बोला कि तुम मेरे से मिलने नहीं आती हो, उपयंत्री मैडम घबरा गयी कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है ऐसा लगा कि यह इनसे लिपट कर कुछ घटना कारित कर सकता है उपयंत्री मैडम ने SDO सर को बोला एवं सभी किसानों से भी बोला कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है तब किसानों/SDO सर ने इसे गाड़ी से बैग आदि डिक्की से निकाल के उसे तत्काल पकड़कर निकालने का प्रयास किया वह बार-बार इधर-उधर भाग रहा था। बाद में उसे बिठाया गया तब उसने माफी मांगी मेरे से निवेदन किया कि FIR मत कराना मैं पैर पड़ता हूँ SDO एवं किसानों के भी पैर पड़ा तो चर्चा कर उसे छोड़ दिया गया। उपरोक्त घटना की जाँच कर दोषी व्यक्ति पर सख्त कार्यवाही करें कृपया प्रदायगी आदि

प्रतिलिपि ① EE TLBC Keolari की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
② SDO Sub No 5 Keolari की ओर सू. कार्य।

15/02
(घनश्याम सोनी)
सुपरवाइजर
उप-सं-क्र 5 केवलारी

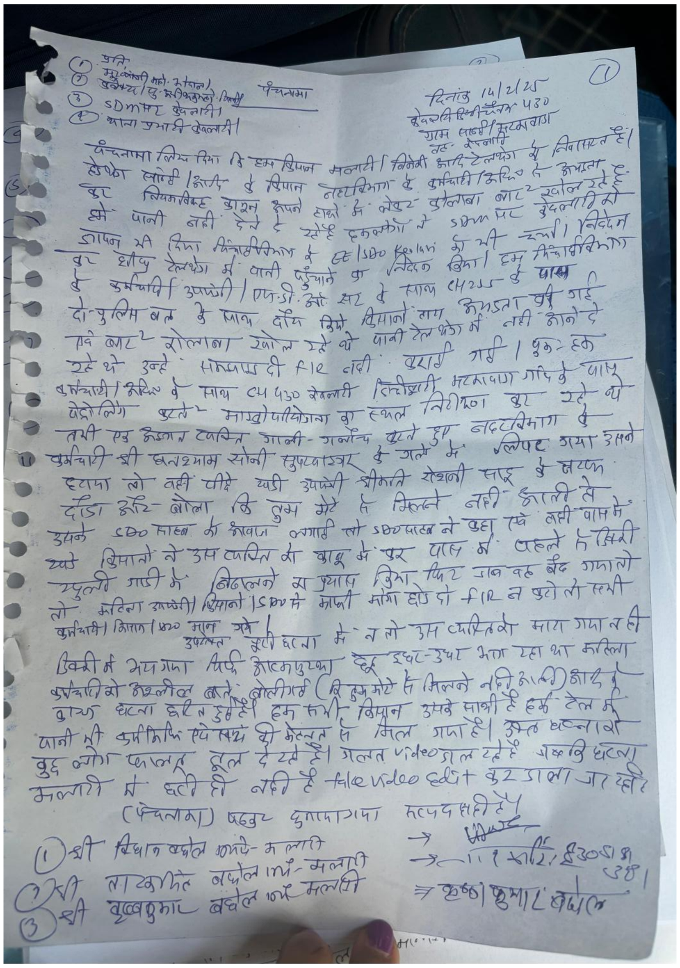

(1) प्रति,
(2) मुख्यमंत्री महो. भोपाल।
(3) कलेक्टर/पु. अधीक्षक सिवनी
(3) SDM महोदय केवलारी।
(4) थाना प्रभारी केवलारी।

पंचनामा

(1)

दिनांक 14/2/25
केवलारी विधानसभा 430
ग्राम मलारी/सरकावाड़ा
तह. केवलारी

पंचनामा लिख दिया कि हम किसान मलारी/बिनेकी आदि टेलक्षेत्र के निवासरत है। हेडक्षेत्र लोनी/आदि के किसान नहरविभाग के कर्मचारी/अधि० से अनुरोध कर नियमविरूद्ध कानून अपने हाथों में लेकर कुलाबा बार२ खोल रहे है हमें पानी नहीं देते है रहे है इकलौतों ने SDM सर केवलारी को ज्ञापन भी दिया सिंचाईविभाग के EE/SDO केवलारी को भी चर्चा। निवेदन कर शीघ्र टेलक्षेत्र में पानी पहुंचाने का निवेदन किया। हम सिंचाईविभाग के कर्मचारी/उपयंत्री/एस.डी.ओ. सर के साथ CH255 के पास अनुरोध की गई तो पुलिस बल के साथ दौरा किये किसानों द्वारा अनुरोध नहीं आने दे रहे बार२ कुलाबा खोल रहे थे पानी टेल क्षेत्र में नहीं आने दे रहे थे उन्हें समझाया की FIR नहीं कराई गई। फिर एक कर्मचारी/अधि० के साथ CH 430 केवलारी तिलोझरी महकावाड़ा गांव के पास पेट्रोलिंग करते२ माइक्रोपाईपयोजना का स्थल निरीक्षण कर रहे थे तभी एक अज्ञात व्यक्ति गाली-गलौच करते हुए नहरविभाग के कर्मचारी श्री घनश्याम सोनी सुपरवाइजर के गले में लिपट गया उसने हटाया तो वहीं पीछे खड़ी उपयंत्री श्रीमति रोशनी साहू के तरफ दौड़ा और बोला कि तुम मेरे से मिलने नहीं आती हो वहीं पास में उसके SDO साहब को आवाज लगाई तो SDO साहब ने कहा एवं वहीं पास में पहले से किसी खड़े किसानों ने उस व्यक्ति को काबू में कर पास में खुली गाड़ी में बिठालने का प्रयास किया फिर जब वह बैठ गया तो तो महिला उपयंत्री/किसानों/SDO से माफी मांगा छोड़ दो FIR न करो तो सभी कर्मचारी/किसान/SDO मान गये।

उपरोक्त पूरी घटना में न तो उस व्यक्ति को मारा गया न ही उसकी में अपमान सिर्फ आत्मरक्षा हेतु इधर-उधर भाग रहा था महिला कर्मचारी को अश्लील बातें बोली गई (कि तुम मेरे से मिलने नहीं आती) आदि के कारण घटना घटित हुई है हम सभी किसान उसके साक्षी है हमें टेल में पानी भी कर्मचारियों एवं सबकी मेहनत से मिल गया है। असल घटना को कुछ लोग फालतू तूल दे रहे है। गलत video डाल रहे है जबकि घटना मलारी में घटी ही नहीं है false video edit कर डाला जा रहा है।

(पंचनामा) पढ़कर सुनादिया गया सत्य सही है।

(1) श्री विधान बघेल आत्मज- मलारी →
(2) श्री ताराचंद बघेल ग्रा.- मलारी → [illegible]
(3) श्री कृष्णकुमार बघेल ग्रा. मलारी ⇒ कृष्णकुमार बघेल